न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 68/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/85

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा	बनाम	श्री अकिल पुत्र श्री कुर्बानजी बोहरा मैसर्स रॉयल आईसक्रीम, नई आबादी सैफीपुरा, बॉसवाडा (राज.)

उपस्थित :–

खाद्य सुरक्षा अधिकारी — श्री अकिल

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 19.12.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज.) के द्वारा दिनांक **25–11–2022** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **13–06–2022** को 11.00 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉंच हेतु **मैसर्स रॉयल आईसक्रीम, नई आबादी सैफीपुरा, बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री अकिल पुत्र श्री कुर्बान बोहरा** उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान पर **एक फ्रिजर में स्टील बरनी में करीब 10–11 कि0ग्रा0 आइसक्रीम (वनीला)** आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **आम जनता को बिक्री हेतु रखे करीब 10–11 कि0ग्रा0 आइसक्रीम (वनीला) मे से 1 किलो ग्राम वास्ते नमुना जॉच हेतु साफ, सुखी एवं खाली स्टील की भगौनी में खरीदा तथा इनकी कीमत 200 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की।** जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **1 किलो ग्राम आइसक्रीम (वनीला) को चार साफ, सुखे व खाली चौडे** [illegible] **शी में बराबर–बराबर मात्रा में** भरकर फार्मेलीन की 20–20 बूंद [illegible] ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया [illegible] भाग को नियमानुसार [illegible] बन्द किया। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भा[illegible]य फार्म नं. 6 की प्रति [illegible]वर

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/235–236 दिनांक 28.06.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 591 दिनांक 22.06.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **आइसक्रीम (वनीला)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 29–11–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 19.12.2022 को अभियुक्त **श्री अकिल पुत्र श्री कुर्बानजी बोहरा** ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को [illegible] में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उक्त प[illegible] किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/235–236 दिनांक 28.06.2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 591 दिनांक 22.06.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **आइसक्रीम (वनीला)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डड होना पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया **आईसक्रीम (वनीला)** विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री अकिल पुत्र श्री कुर्बानजी बोहरा मैसर्स रॉयल आईसक्रीम, नई आबादी सैफीपुरा के पास, बाँसवाड़ा** को रूपये 25000/– (अक्षरे रू. पच्चीस हजार रूपया मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दु संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णायक अधिकारी
(अति0 जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner